साक्ष्य वादी में वकील वादी ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2073—76 मौजा कुसिया के खाता संख्या 1919 प्रदर्श—1 ई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 18 ओर से इकबालीया जवाब दावा एवं राजीनामा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को ड्की करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने वादपत्र को वाद के इकबाली जवाब के पेराज के अनुसार डिक्री कये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। तहसीलदार जायल को परफोर्मा पक्षकार के रूप में वाद पत्र पर संयोजित किया गया है। पक्षकारान द्वारा मौजा जायल के खसरा नम्बर 347 का बंट चाहा गया है जो कि पक्षकारान कि पुश्तैनी भूमि रहती आई है। पुश्तैनी भूमि में सभी काश्तकार अपने अपने बंट का विभाजन अलग करवा सकते है। वाद पत्र में सभी पक्षकार का अलग—अलग बंट अंकित किया गया है एवं उसी अनुसार पक्षकार द्वारा बंट चाहा गया है एवं किसी भी पक्षकार द्वारा इसका विरोध प्रकट नहीं किया गया है। मौजा जायल के खाता संख्या 1919 के खसरा नम्बर 347 रकबा 0.8256 हैक्टेयर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 18 को खाते के अन्य खातेदारान के साथ सहखातेदार कृषक घोषित करते हुए वाद अनुसार वाद को डिक्रि किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 18 ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्रि किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है—

1. वादी संख्या 1 से 5 क्रमशः पवन कुमार, अशोक कुमार, मनोज कुमार, अनुशुईया एवं सरस्वती के सह हक बंट सह कब्जे काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नम्बर 347 रकबा 0.8256 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 18 क्रमशः रामानुज, आनन्द, बबीता, पिंकी, शांति, भगवती, सुमित्रा, रामअवतार, बेणीगोपाल, महावीर, द्रोपति, सिता, मंजू, पार्वती, बृजगोपाल, सुलोचना, कान्ता एवं रेवन्ती के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्युटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
3. उक्त खसरान के बैक के रहन रहने कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।

तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

निर्णय आज दिनांक 29.12.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner